सूरजभान

बनाम

ओम प्रकाश और एक अन्य

2 फरवरी, 1976

[पी.के. गोस्वामी, पी.एन. शिंघल और जसवंत सिंह, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2/1974)- धारा 428- का दायरा- क्या दोषसिद्धि को किसी चुनौती पर विचार किया जा रहा है- धारा लागू करने की प्रक्रिया।

अभ्यास- संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, जब सजा को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण आपराधिक अपील में एक निर्णय के आधार पर निष्फल हो गया हो, जो सीआरपीसी 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 393 के तहत अंतिम हो गया है, उचित नहीं है।

दिनांक 19-4-1973 को प्रतिवादी "ओपी" ने अपीलकर्ता "एस" पर चाकू से पांच घाव किये, लेकिन त्वरित चिकित्सा सहायता और तत्काल ऑपरेशन के कारण अपीलकर्ता बच गया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26-2-74 से "ओपी" को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी "ओपी" ने पंजाब उच्च न्यायालय में एक आपराधिक अपील संख्या 442/74 इस आधार पर दायर की कि वह सीआरएल पीसी 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 428 के तहत एक विचाराधीन कैदी के रूप में उसकी हिरासत की अवधि को उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के विरुद्ध निर्धारित किए जाने का हकदार था। अपीलकर्ता "एस" ने भी आरोपी की सजा को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनीरिक्षण संख्या 606/74 दायर की। चूंकि आपराधिक अपील में राज्य की ओर से याचिका का कोई विरोध नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए कारावास की सजा की अवधि को कम कर दिया, जो वह पहले ही भ्गत चुका था। उक्त अपील के विरुद्ध, राज्य या "एस" द्वारा कोई और अपील नहीं की गई और इसलिए आदेश अंतिम हो गए। हालाँकि "एस" द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को "आपराधिक अपील संख्या 442/74 में दर्ज कारणों" के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अलग से खारिज कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ, "एस" ने आरोपी "ओपी" और राज्य को नोटिस के बाद विशेष अनुमति प्राप्त की।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि: (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 428 से ही यह स्पष्ट है कि भले ही सजा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के लागू होने से पहले हुई हो, धारा 428 का लाभ ऐसी सजा के लिए उपलब्ध होगा। वास्तव में धारा 428 किसी दोषसिद्धि या सज़ा को चुनौती देने पर विचार नहीं करती है। यह एक दोषी को लाभ प्रदान करता है, जिससे उस अविध के लिए दी गई सजा में से कारावास भुगतने का दायित्व कम हो जाता है, जो वह पहले ही एक विचाराधीन कैदी के रूप में काट चुका है। [301 एच, 302 ए]

- (2) धारा 428 आपराधिक प्रक्रिया संहिता को लागू करने की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा किसी भी समय अदालत में एक विविध आवेदन हो सकता है, जबिक सजा कारावास की अविध को कम करने के लिए एक उचित आदेश पारित करने के लिए चलती है जो कि धारा का अधिदेश है।[302 ए]
- (3) वर्तमान मामले में, आपराधिक अपील संख्या 442/74 में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य या घायल द्वारा अपील की अनुपस्थित में, वह निर्णय अंतिम हो गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण का दायरा यह था कि क्या दस साल की सजा को और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आपराधिक अपील में उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर वह सजा ही समाप्त हो गई। इसलिए आपराधिक

पुनरीक्षण निष्फल हो गया और उच्चतम न्यायालय इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, जबिक उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी रहेगा। 1302 डी, ईएफ]

ओबिटर: उच्च न्यायालय का आदेश धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में भी स्पष्ट रूप से संधारणीय नहीं था क्योंकि धारा के तहत जिस एकमात्र मुआवज़े के लिए आग्रह किया गया था और जो स्वीकार्य था, वह लगभग नौ महीने की पूर्व-परीक्षण हिरासत की अवधि थी।

[न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई इतनी कठोर सजा को अस्वीकार कर दिया और आलोचना की कि राज्य ने इतनी बड़ी सजा पर ध्यान नहीं दिया और न्यायालय में अपील दाखिल नहीं की।]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 381/1975।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 606/1974 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जनवरी, 1973 के फैसले और आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से वी. सी. महाजन, एस.के. मेहता और के.आर. नागराज। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से चौ. राम सरूप और आर.ए. गुप्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एच. एस. मारवाह और एस.पी. नायर न्यायालय का निर्णय गोस्वामी, जे. द्वारा सुनाया गया- 19 अप्रैल, 1973 को, प्रतिवादी ओम प्रकाश (इसके बाद आरोपी के रूप में वर्णित किया जाएगा) ने अपीलकर्ता सूरजभान चाकू से पांच वार किए। चोटें बहुत गंभीर थीं जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से पता चलेगा:-

- "1. पेट के सामने बाईं ओर 5 सेमी x 2 सेमी x तिरछी स्पिंडल आकार का कटा हुआ घाव, एक्सफ़िस्टर्नम के नीचे 8 सेमी और मध्य रेखा के बाईं ओर 6 सेमी। गहराई की जांच नहीं की गई, घाव के किनारे ताज़ा थे।
- 2. कटा हुआ घाव 2 1/2 सेमी x 1 सेमी तिरछा, बाईं ओर 6 सेमी और चोट नंबर 1 से 2 सेमी ऊपर, स्पिंडल के आकार का। किनारे ताज़ा थे और गहराई की जांच नहीं की गई थी।
- 3. कटा हुआ घाव 2 1/2 सेमी x 1 सेमी क्षैतिज, स्पिण्डल के आकार का बाएं पूर्वकाल सुपीरियर इलियाक रीढ़ से 6 सेमी ऊपर। गहराई की जांच नहीं की गई थी और किनारे ताजा थे।

- 4. कटा हुआ घाव 1 सेमी X 1 सेमी X 2 मिमी गहरा, बाएं पूर्वकाल सुपीरियर इलियाक रीढ़ के स्तर पर क्षैतिज 6 सेमी अंदर से अंत तक, किनारे ताजा थे।
- 5. भेदने वाला घाव 5 सेमी X 2.5 सेमी X गुहा गहरा, पेट के सामने क्षैतिज, मध्य रेखा के दाईं ओर 2 सेमी, जिफ़िस्टर्नम के स्तर से 10 सेमी नीचे, किनारे साफ़ कटे हुए थे और घाव के माध्यम से उभरी हुई छोटी आंत की कुंडलियाँ ताज़ा थीं।"

अपीलकर्ता का एक ऑपरेशन भी किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्वरित और उचित चिकित्सा देखभाल ने ही अपीलकर्ता को मृत्यु से बचाया।

विचारण न्यायालय ने 26 फरवरी, 1974 को अपने फैसले में आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास और 200/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, अदम अदायगी एक वर्ष का कठोर कारावास। हालांकि आरोपी ने अपनी उम्र 19 साल बताई, लेकिन विचारण न्यायालय के मुताबिक उसकी उम्र करीब 23 साल लगरही थी।

आरोपी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। अपील को आपराधिक अपील संख्या 442/ 1974 के रूप में क्रमांकित किया गया था। घायल सूरज भान ने भी अभियुक्त को दी गई सजा को बढ़ाने के लिए 606/1974 के रूप में एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। अपील का फैसला 10 जनवरी, 1975 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था। उस अपील में उच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की सजा को चुनौती नहीं दी गई थी। एकमात्र बिंद् जिस पर तर्क दिया गया था वह यह था कि अभियुक्त एक विचाराधीन कैदी के रूप में अपनी हिरासत की अवधि को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 428 के तहत लगाए गए कारावास की अविध से कम करने का हकदार था,जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। फैसले से यह भी प्रतीत होता है कि राज्य ने अभियुक्तों की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध नहीं किया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित शर्तों में आदेश पारित किया:-

"विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में बल है जिसका राज्य के अधिवक्ता ने विरोध नहीं किया है। मेरा विचार है कि न्याय का तब उद्देश्य पूरा होगा यदि दोषी-अपीलकर्ता की कारावास

की अवधि उसके द्वारा पहले ही भोगी गई कारावास की अवधि से कम कर दी जाती है।"

इतना कहने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया और अभियुक्त की कारावास की अविध को पहले ही भुगत चुके कारावास की अविध से कम कर दिया और जुर्माने की सजा को भी बरकरार रखा। दोषसिद्धि-पूर्व हिरासत को शामिल करते हुए अभियुक्त ने केवल एक वर्ष और आठ महीने की सज़ा काटी।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित बेहद अपर्याप्त सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं करने का विकल्प चुना। दूसरी ओर, घायल सूरजभान ने संविधान के अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत इस न्यायालय में अपील करने के लिए छुट्टी के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली और उसके बाद राज्य सहित उत्तरदाताओं को नोटिस देकर इस न्यायालय से विशेष अनुमित प्राप्त की कि अपील के लिए विशेष अनुमित क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

हमने उपरोक्त तथ्यों का कुछ विस्तार से वर्णन किया है क्योंकि हम इसका मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं कि इस मामले में राज्य को आम

तौर पर इतनी कम सजा पर ध्यान देने की अनदेखी क्यों करनी चाहिए थी।

उच्च न्यायालय का आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के संदर्भ में भी स्पष्ट रूप से संधारणीय नहीं था क्योंकि धारा के तहत जिस एकमात्र मुआवज़े के लिए आग्रह किया गया था और जो स्वीकार्य था वह लगभग नौ महीने की अविध थी जिसे अभियुक्त ने दोषसिद्धि से पहले एक विचाराधीन कैदी के रूप में भुगत लिया था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 से यह भी स्पष्ट है कि भले ही सजा दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने से पहले की हो, धारा 428 का लाभ ऐसी सजा पर भी मिलेगा। वास्तव में धारा 428 किसी दोषसिद्धि या सजा को चुनौती पर विचार नहीं करती है। यह एक दोषी को लाभ प्रदान करता है, जिससे उस अविध के लिए दी गई सजा में से कारावास भुगतने का दायित्व कम हो जाता है, जो वह पहले ही एक विचाराधीन कैंदी के रूप में काट चुका है। धारा 428, आपराधिक प्रक्रिया संहिता को लागू करने की प्रक्रिया, अभियुक्त द्वारा किसी भी समय न्यायालय में जब सजा जारी हो, कारावास की अविध को कम करने के लिए एक उचित आदेश पारित करने के लिए एक विविध आवेदन हो सकता है, जो धारा का जनादेश है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में केवल एक बिंदु पर बहस के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत पहले से ही भुगती गई अविध तक सजा को कम करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

चूंकि हत्या के प्रयास में चोट पहुंचाई गई थी, आईपीसी की धारा 307 के दूसरे भाग के तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास होगी। घायल धारा के पहले भाग में निहित दस साल की अधिकतम सजा से संतुष्ट नहीं था और सजा को बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय द्वारा "1974 की आपराधिक अपील संख्या 442 में दर्ज कारणों" के लिए पुनरीक्षण को अलग से खारिज कर दिया गया था और यह पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ है कि अपीलकर्ता द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त की गई थी।

आपराधिक अपील संख्या 442/1974 में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य या घायल द्वारा अपील की अनुपस्थिति में, वह निर्णय अंतिम हो गया है, जिसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को एक वर्ष आठ माह की सजा और 200/- रूपये जुर्माना, अन्यथा एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण का दायरा यह था कि क्या दस साल की सजा को और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आपराधिक अपील में उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर वह सजा ही समाप्त हो गई। इसलिए, आपराधिक पुनरीक्षण निष्फल हो गया और जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी रहेगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से आपराधिक अपील में वह निर्णय इस न्यायालय में हमारे सामने नहीं है। हालाँकि, इसलिए, हम वर्तमान मामले में अत्यंत कोमल सजा को मंजूरी नहीं दे सकते हैं, हमारे पास वर्तमान अपील को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है।

एसआर

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।